छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 24/03/2011

क्रमांक एफ 20–5/2011/11/(6) :– राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2009–14 बिन्दु क्र. 4.2 शीर्षक औद्योगिक अधोसंरचना के उपबिन्दु क्र. 4.2.5 में राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर अधोसंरचना निगरानी समितियां गठित किये जाने का प्रावधान है जो विकास की प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्रों का रख–रखाव एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी । जिसके क्रियान्वयन हेतु अधोसंरचना विकास समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1.	संबंधित जिले के कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2.	संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं उनके द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के कार्यपालन यंत्री, सीएसआईडीसी	–	सदस्य
4.	सी.एस.आई.डी.सी. के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण से आये न्यूनतम उप संचालक स्तर के अधिकारी)	–	सदस्य
5.	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	–	जिला स्तर पर सदस्य सचिव

(2) अधोसंरचना निगरानी समितियों का कार्यस्वरूप निम्नानुसार होगाः–

1– नवीन औद्योगिक क्षेत्र में संबंधित औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष अथवा नामांकित प्रतिनिधित औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु प्राथमिकताओं के संबंध में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अपना प्रस्ताव देंगे ।

2– महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सी.एस.आई.डी.सी. के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक से समन्वय कर कार्यपालन यंत्री, सीएसआईडीसी व अन्य अधिकारियों की औद्योगिक क्षेत्र में प्रवास सुनिश्चित करेगा तदोपरांत जिला स्तरीय समिति में इसके अनुमोदन के पश्चात् अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव उद्योग संचालनालय को प्रेषित करेगा । संधारण के कार्यों में भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

.....2

3– सीएसआईडीसी के कार्यपालन यंत्री अधोसंरचना के विकास अथवा संधारण का प्राक्कलन तैयार कर सी.एस.आई.डी.सी. की प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार तकनीकी अनुमोदन एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

4– अधोसंरचना के विकास अथवा संधारण का कार्य प्रारंभ होने पर जिला स्तर पर सदस्य सचिव समिति के अन्य सदस्यों के साथ समय–समय पर औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना/संधारण के कार्य की निगरानी हेतु दौरा कर सकेगा एवं प्रवास पर पाये जाने वाले त्रुटियों की ओर प्रबंध संचालक/कार्यपालक, सी.एस.आई.डी.सी. की ओर ध्यान आकृष्ट करेगा ।

5– औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना की स्थापना अथवा संधारण कार्य के संबंध में यदि किसी औद्योगिक इकाई को कोई शिकायत है/सुझाव है तो वह जिला स्तर पर पदस्थ सदस्य सचिव/औद्योगिक संघ के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा । जिस पर कार्यवाही उपरोक्तानुसार की जावेगी ।

6– जिला स्तर पर सदस्य सचिव यदि राज्य स्तर पर प्रकरण का निराकरण करना आवश्यक समझते हैं तो जिला स्तर पर गठित समितियों की अनुशंसाओं सहित अपना प्रतिवेदन उद्योग आयुक्त को प्रेषित करेंगे व उद्योग आयुक्त प्रबंध संचालक से संपर्क कर प्रकरण का निराकरण करेंगे ।

7– अधोसंरचना निगरानी समितियों की बैठक 3 माह में एक बार अवश्य जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय/औद्योगिक संघ के कार्यालय में होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षरित
(पी.डी. दोहरे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्र. एफ 20–5/2011/11/(6) रायपुर, दिनांक 24/03/2011

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
2. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर

.....3

4. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, रायपुर

5. संचालक, जनसम्पर्क विभाग (छ0ग0)

6. प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि0 रायपुर

7. समस्त जिला कलेक्टर, ...

8. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ...

9. संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के एसोसिएशन के अध्यक्ष.....

10. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करा कर, प्रकाशित 250 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ।

हस्ताक्षरित
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग